संख्या: 53/2023/2408052/12-2099/95/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 08 जून, 2023

विषय: प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना के सामान्य संचालन तथा एफ0पी0ओ0, पंजीकृत किसान समितियों व पंजीकृत एन0आर0एल0 समूह प्रक्रिया के निर्धारण में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: अभि0-13/211/शासन पत्रा0/2023-24, दिनांक 16 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी चयन की प्रक्रिया में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-28/2021/1058/2021/1372933/12-2099/95/2021, दिनांक 08 जून, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-6(II) तथा बिन्दु संख्या-8(III) में पूर्व में दी गई व्यवस्था को सम्यक विचारोपरान्त संशोधित किया जाता है:-

शासनादेश में व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु संख्या-6(II) योजनान्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 300 प्रतिशत तक बुकिंग कर प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। बिन्दु संख्या-8(III) कृषक को टोकन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक जाकर या ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा बैंक एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर स्वत: अंकित हो जायेगी। यदि कृषक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उसका टोकन स्वत: निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को अवसर मिलेगा।	लाभार्थी का चयन बुकिंग प्रक्रिया के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर किया जायेगा। बुकिंग के साथ ही साथ कृषक को यंत्रवार निर्धारित टोकन मनी ऑन लाइन जमा करना होगा। लक्ष्य का 150 प्रतिशत बुकिंग किया जायेगा, परन्तु जनपदवार एवं यंत्रवार निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन कन्फर्म किए जायेंगे। लक्ष्य अवशेष रहने की दशा में प्रतीक्षा सूची के कृषकों के टोकन कन्फर्म किये जायेंगे। लक्ष्य अवशेष न रहने पर संबंधित कृषक को टोकन मनी की धनराशि वापस कर दी जायेगी। पोर्टल पर उपर्युक्त संबंधी व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित कर दी जाये।

3. शासनादेश दिनांक 08 जून, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में अंकित शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 53/2023/2408052(1)/12-2099/95/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।